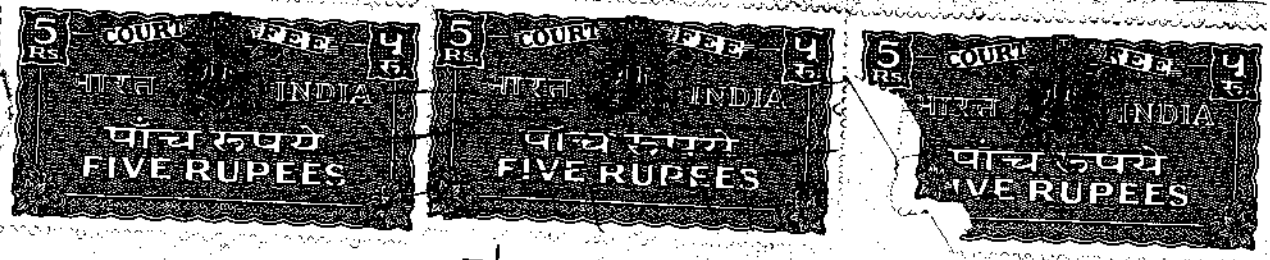

5

5 COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES	5 COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES	5 COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर [मध्य - प्रदेश]

प्रकरण क्रमांक /07 निगरानी।

1]-महिला केशरबाई पत्नी मोतीसिंह जाटउम्र

2]-महिला अनीताबाई पत्नी प्रदीपसिंहजाटउम्र

3]-भूपेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाट उम्र वर्ष

4]-सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र वर्ष

सभी निवासीगण ग्राम झिरन्या, तहसील कराहल, जिला श्योपुर [मध्य - प्रदेश]

--- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 31.1.07 को प्रस्तुत। 31/1/07 अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निग- 207/II/2007

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुरम०प्र०

---- अनावेदक

31/1/06

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता

विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 19/2002-03 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.11.06

31.1.07

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदकगण भूमिहीन होकर ग्राम झिरन्या, परगना कराहल, जिला श्योपुर के मूल निवासी है तथा एक किलो मीटर दूर स्थित ग्राम भूरवाड़ा, परगना कराहल, जिला श्योपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 113 में से रकबा 9-9 बीघा पर विगत 20 वर्षों से काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है, पूर्व में भूमि उबड़, खाबड़ थी जिसे आवेदकगण ने अपने मेहनत व परिश्रम से

नि०अ० केशरबाई

नि०अ० अनीताबाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 207–दो/07 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 19/2002–03/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–11–06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, कराहल द्वारा प्र0क0 09/2000–01/अ–19 में पारित आदेश दिनांक ग्राम भूरवाड़ा की भ्झूमि सर्वे नं. 113 में से रकबा 1.991 हैक्टर के पृथक–2 पट्टे आवेदकों को 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व कब्जा मानकर दिये गये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकों का 2–10–84 से कब्जा प्रमाणित नहीं है, विधिवत इश्तहार जारी नहीं किया गया है यह मानते हुए नायब तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर द्वारा आवेदकों को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16–11–06 द्वारा नायब तहसीलदार, कराहल द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह	

निग० - 207 - II/07 (झाबुआ)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन आदेश को 6 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । आवेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर काफी पुराना कब्जा है । आवेदकगण यह ही परिवार के सदस्य हैं यह प्रमाणित नहीं है । विचारण न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुए व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदकगण का 2-10-84 के पूर्व से कब्जा प्रमाणित नहीं है । आवेदकगण जहां भूमि स्थिति है उस ग्राम के निवासी नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का 2-10-84 से कब्जा प्रमाणित नहीं है और ना ही इस संबंध में आवेदकों ने कोई दस्तावेज पेश किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी पाया है कि आवेदकगण ग्राम झिरन्या के निवासी है जबकि भूमि भूरवाड़ा की है । विचारण न्यायालय ने आवेदकगण के पास पूर्व से कितनी भूमि है इसकी भी जांच नहीं की गई है । उक्त आधारों पर उन्होंने आवेदकों को भूमि प्राप्त करने की पात्रता न मानते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । जहां तक आवेदक के अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि इस प्रकरण में कलेक्टर	

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 207–दो/07

जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा स्वमेव निगरानी अधिकारों का प्रयोग 6 वर्ष पश्चात किया गया है, इस कारण उनका आदेश विधिसम्मत नहीं है, इस प्रकरण में मानने योग्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक को जो व्यवस्थापन किया गया है वह विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के विपरीत जाकर किया गया है । न्यायदृष्टांत 2007 आर0एन0 399 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा 50 –– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां – भूमि का अवैध आवंटन – 10–15 वर्ष पश्चात भी अपास्त किया जा सकता है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	